

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-2  
संख्या:- 1453/सेक-2-पांच-17-7(51)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञाप

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारी, डा० सुरेन्द्र नाथ सिंह यादव, पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ को कार्यालय ज्ञाप संख्या-19/सेक-2-पांच-2017-7(125)/2016 दिनांक 03.01.2017 द्वारा उ०प्र० राज्य के 18 मण्डल मुख्यालयों पर डायलिसिस केन्द्रों की स्थापना, सुदृढीकरण एवं संचालन हेतु संयुक्त निदेशक ग्रेड/विशेष कार्याधिकारी का निःसंवर्गीय पद (वेतनमान रू० 37,400-67,000 ग्रेड-पे रू० 87 00 ) सृजित करते हुए पुनर्सेवायोजित किया गया था।


2- तात्कालिक प्रभाव से डा० सुरेन्द्र नाथ सिंह यादव के उक्त पुनर्सेवायोजन को समाप्त करते हुए एतद्वारा उन्हें कार्यमुक्त किया जाता है।

अरूण कुमार सिन्हा  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1453(1)/सेक-2-पांच-17, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव उ०प्र० शासन को कार्यालय आदेश संख्या-224/पी०एस०एम०एस०/2017 दिनांक 25.03.2017 के सन्दर्भ में मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ।
- 6- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- 9- वित्त सामान्य अनुभाग-3
- 10- डा० सुरेन्द्र नाथ सिंह यादव, पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(विनेद कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-2  
संख्या:-1454/सेक-2-पांच-17-7(51)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञाप

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग की चिकित्साधिकारी, डा0 रूपम कुमारी आर्या, चिकित्सा अधीक्षिका, उ0प्र0 सचिवालय, एलोपैथिक डिस्पेंसरी, लखनऊ को कार्यालय ज्ञाप संख्या-4452/सेक-2-पांच-2016-7(183)/2016 दिनांक 02.12.2016 द्वारा संयुक्त निदेशक ग्रेड का निःसंवर्गीय पद (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे रू0 87 00 ) सृजित करते हुए पुनर्सेवायोजित किया गया था।


2- तात्कालिक प्रभाव से डा0 रूपम कुमारी आर्या के उक्त पुनर्सेवायोजन को समाप्त करते हुए एतद्वारा उन्हें कार्यमुक्त किया जाता है।

अरुण कुमार सिन्हा  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1454(1)/सेक-2-पांच-17, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन को कार्यालय आदेश संख्या-224/पी0एस0एम0एस0/2017 दिनांक 25.03.2017 के सन्दर्भ में मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ।
- 6- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- 9- वित्त सामान्य अनुभाग-3
- 10- डा0 रूपम कुमारी आर्या, पूर्व चिकित्सा अधीक्षिका, उ0प्र0 सचिवालय, एलोपैथिक डिस्पेंसरी, लखनऊ।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(विनोद कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।